न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 76 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– श्रवणराम पुत्र जसाराम 2– बक्साराम पुत्र जसाराम 3– श्रीमती पुसी बेवा जसाराम 4– सुरजी पुत्री जसाराम पत्नी बस्ताराम समस्त जातियान माली निवासी आसोप, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 5– बाबुडी पुत्री जसाराम पत्नी जंवरीलाल जाति माली निवासी सतीनगर भोपालगढ, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1–परमी कथित पुत्री घेवरराम पत्नी जीवनराम जाति माली निवासी आसोप, तहसील भोपालगढ हाल निवासी सतीनगर भोपालगढ, जिला जोधपुर 2– सरपंच ग्राम पंचायत आसोप

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 16–05–2017 जो उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व अपील संख्या 14 / 2014 अनवान परमी बनाम धोकलराम मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक 29–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ के खसरा नंबरान 2187, 2876, 3637 एवं 2973 की कुल भूमि 76.16 बीघा के सहखातेदार घेवरराम के फोत होने पर उसके हिस्से की भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 2195 उसकी माता धूली का नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत आसोप द्वारा स्वीकृत किया । उक्त म्युटेशन के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 परमी ने स्वयं को घेवरराम की पुत्री होने से विधिविरूद्ध स्वीकृत उक्त म्युटेशन को निरस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2017 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2195 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर संबंधित दस्तावेजो एवं तथ्यो का न्यायिक परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2195 खातेदार घेवरराम की मृत्यु पर उसकी माता धूली पत्नी श्रीराम के नाम स्वीकृत हुआ था तथा उक्त खातेदार धूली के फोत होने पर उसके पुत्रो (मृतक घेवरराम के भाईयो) के नाम स्वीकृत हुआ तथा बाद मे उक्त भूमि निरंतर बिकती गई । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे सहखातेदारो के बीच बंटवाडा भी हो गया तथा बंटवाडे का भी म्युटेशन संख्या 3045 स्वीकृत हुआ तथा बंटवाडा अनुसार खातेदारो ने अपने हिस्से की भूमि का और बचान हो गये परंतु रेस्पो0 सख्या 1 परमी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपील अधीनस्थ न्यायालय मे नियमित कोर्ट मे तारीख पेशी मे चल रही थी जिसे लोक अदालत केम्प कोर्ट आसोप मे ले जाकर निर्णित करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असाधारण विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमे ऐसा कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही है जिसके आधार पर अपील को अंदर मयाद सुमार किया जा सके तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र जो बिना तस्दीकसुदा होने से इस आधार पर भी रेस्पो0 की अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर देना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअदांज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को केम्प के नोटिस तामिल कराये, बिना मूल म्युटेशन तलब किये तथा अपीलांट को जवाब का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा फोतेदगी म्युटेशन सुख्या 2195 को निरस्त कर दिया जबकि इसके बाद अनेको बदलाव राजस्व रेकर्ड मे हो चुका था उस पर ध्यान दिये बिना पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–17 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील त्रुटिपूर्ण है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय मे जिनको प्रत्यर्थी संख्या 1 धोकलराम तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 मंगलाराम पक्षकार बनाया हुआ था उनको इस अपील मे पक्षकार बनाये बिना अपील पेश की है इसलिए पक्षकारो के अभाव मे उक्त अपील त्रुटिपूर्ण होने से खारीज योग्य है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि उक्त धोकलराम तथा मंगलाराम के हित अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होते है इसलिए उनके पीठ पीछे किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि पूर्व खातेदार घेवरराम के फोत होने पर घेवरराम की मां धूली एवं वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 परमी जो मृतक घेवरराम की पुत्री जीवित थी । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि खातेदार घेवरराम की मृत्यु के बाद

उसकी पत्नी नाते चली जाने से घेवरराम एवं उसकी पत्नी से पैदा हुई पुत्री वर्तमान रेस्पो0 परमी को उसके हिस्से से वंचित नही किया जा सकता है इसलिए परमी पुत्री स्व0 घेवरराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे धोकलराम व मंगलाराम हाजिर हुए तथा उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे तथा अधीनस्थ न्यायालय मे सरंपच एवं अन्य सभी की तामिल विधिवत हुई है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली लोक अदालत केम्प मे रखने बाबत सभी के नोटिस जारी हुए तथा नोटिस तामिल भी हुए जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड ही तो किया है जहां सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा तथा बाद परीक्षण युक्तियुक्त निर्णय पारित होगा इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने इस संबंध मे 99 सी.पी.सी. के प्रावधान की ओर ध्यान दिलाया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की उक्त अपील मी मयाद बाहर है । अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब वर्ष 2014 से 2017 तक पेश नही किया न ही कोई एतराज किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय अपील को अंदर सुमार कर दिया है तो अब अपीलांट कोर्ट मे अपीलांट अधिवक्ता का कथन विधिसम्मत नही है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 परमी जो कि मृतक खातेदार घेवरराम की पुत्री है उसने अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे अपना हक लेने के लिए बोनोफाईडली अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की थी जिस पर पारित निर्णय से केवल जसाराम के वारिसान को आपत्ति होने से उन्होने ही अपील पेश की है जबकि धोकलराम एवं मंगलाराम जो मृतक घेवरराम के सगे भाई है उन्होने कोई एतराज नही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधि एवं न्यायसंगत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट को धोकलराम एवं मंगलाराम से कोई रिलीफ नही लेनी है उनकी रिलीफ केवल परमी के विरूद्ध होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया तथा अपनी इस बहस के समर्थन मे सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 4 की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपील मे जिनके विरूद्ध कोई राहत नही चाहिये उन्हे पक्षकार बनाना जरूरी नही है तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे नोटिस प्रोपर तामिल नही हुए थे , मूल रेकर्ड के अभाव मे निर्णय पारित किया जाना विधि अनुकुल नही माना जा सकता है तथा कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया होने से जानकारी होने से अपील पेश की है, जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर उक्त अपील को स्वीकार किया जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात अपीलाधीन म्युटेशन तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का भी अवलोकन किया तथा बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बताये गये सी.पी.सी. के प्रावधानो का भी अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि के सह खातेदार घेवरराम के फोत होने पर उसके हिस्से की भूमि ग्राम आसोप तहसील भोपालगढ के खसरा नंबरान 2187, 2876, 3637 एवं 2973 की कुल भूमि 76.16 बीघा के संबंध मे स्वीकृत हुए फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 2195 के विरूद्ध मृतक खातेदार घेवरराम की पुत्री वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 परमी ने प्रथम अपील पेश कर कथन किया कि वह मृतक खातेदार घेवरराम की पुत्री है तथा उसके खातेदारी की भूमि मे पुत्री होने एवं प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से उसका भी अधिकार होते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए स्वीकृत उक्त म्युटेशन को निरस्त किया जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 2195 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को उभय पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर संबंधित दस्तावेजो एवं तथ्यो का न्यायिक परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील पेश करते हुए अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के नियमित तारीख पेशी पर चल रही थी जिसे केम्प कोर्ट मे लेजाकर बिना सुनवाई किये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तहसीलदार भोपालगढ को उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु रिमाण्ड किया है तो अपीलांटगण तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है जहां उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया हुआ है ।

इसके अलावा अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील देरीना प्रस्तुत करने पर विलंब का क्षमा करने के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र तस्दीकसुदा नही होने से शपथपत्र मान्य नही था इसलिए अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर देनी चाहिये थी । इस संबंध मे उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपील वर्ष 2004 मे पेश हुई थीं तथा निर्णय वर्ष 2007 मे हुआ था परंतु इस दौरान अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब एवं उसके साथ प्रस्तुत शपथपत्र बाबत कोई उजर किसी पक्षकार द्वारा नही किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जब अपील को अंदर मयाद सुमार कर दिया तो मयाद के बिन्दु पर पुनः अपीलांट कोर्ट को किसी प्रकार कर विवेचन करने की आवश्यकता नही है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे अपीलांट का यह कथन किया रेस्पो0 संख्या 1 परमी मृतक खातेदार घेवरराम की पुत्री है भी या नही ? तो यह जांच का विषय है जो उभयपक्ष तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष उपस्थित होकर साबित कर सकते है, इस अपीलीय न्यायालय मे इस बिन्दु का निर्धारण किया जाना संभव नही है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 को मृतक खातेदार घेवरराम की पुत्री होने से उसको उतराधिकार मे प्राप्त अधिकारो को मध्यनजर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है । अपीलांटगण को तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर अपीलाधीन निर्णय मे दिया हुआ है जहां अपीलांट उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–17 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर